17

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिह कुडी
आई.ए.एस.

थम अपील संख्या 251/2022

विनोद निवासी 108, अंगिरा नगर, खातीपुरा फ्लाई ओवर के पास, झोटवाडा, जिला जयपुर, पिन कोड 302012, मो0न0 8764030439

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 251/2022 पर दिनांक 18.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3584–85 दिनांक 18.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक 22/609 दिनांक 04.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं मे जमा होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक उपखण्ड /आरटीआई/2022/607 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा सूचना के अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत संबंधित को भिजवा दिया गया है तथा इसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक 608 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा दे दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक 22/609 दिनांक 04.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं मे जमा होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक उपखण्ड/आरटीआई/2022/607 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा सूचना के अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत संबंधित को भिजवा दिया गया है तथा इसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक 608 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा दे दी गई है। चूंकि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावृद्धि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:16 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं